## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 115/2021

वादीगण–

1. गोदावरी पुत्री मंगलाराम उर्फ मघाराम उर्फ मगाराम पत्नि सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सुरपालिया तहसील जायल, हाल निवासी जीवणबेरा तहसील व जिला नागौर।

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. भंवरलाल पुत्र बीरमाराम
2. जयराम पुत्र बन्नाराम
3. कुनाराम पुत्र बन्नाराम
4. सोहन पुत्र बन्नाराम
5. बाजू पुत्री बन्नाराम
6. नेनी पुत्री बन्नाराम
7. कंचन पुत्री बन्नाराम
8. भगवानाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम
9. सुखाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम जातियान मेघवाल निवासी–सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।
10. कालूराम पुत्र सोनादेवी पत्नि आसुराम पुत्री मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम
11. कानाराम पुत्र सोनादेवी पत्नि आसुराम पुत्री मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम उम्र व्यस्क जातियान मेघवाल निवासीगण गेनाणा तहसील लाडनू जिला नागौर।
12. मूलाराम पुत्र हेमाराम
13. रामूराम पुत्र नानूराम
14. अमानाराम पुत्र नानूराम
15. मुनीराम पुत्र नानूराम
16. गिरधारी पुत्र नानूराम
17. श्रवणराम पुत्र मांगीलाल
18. पुसाराम पुत्र मांगीलाल
19. मानाराम पुत्र मांगीलाल
20. गुमानी पत्नि मांगीलाल
21. कालुराम पुत्र पूर्णाराम
22. संतुदेवी पत्नि भंवरलाल
23. जानीदेवी पत्नि जयराम
24. बाऊडी पत्नि भगवानाराम उम्र सभी व्यस्क जातियान सभी मेघवाल निवासीगण सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।
25. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय जायल जिला नागौर।

28/6/2022

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 115/2021
जीसीएमएस नंबर—2021/205
गोदावरी बनाम् भंवरलाल वगैरह

उपस्थिति :—

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ , अधिवक्ता वादीनी की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 25 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय दिनांक :**

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीनी ने निवेदन किया कि वादीनी के दादा स्वर्गीय गोकुलराम जी के कब्जा काश्त हक अधिकार स्वामित्व के खेताय सरहद मौजा सुरपालिया, टालनियाऊ व निम्बोडा में स्थित रहते चले आये जिनमें से मौजा सुरपालिया की सरहद में खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 328 रकबा 31.14 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकबा 9 बिस्वा, मौजा टालनियाऊ की सरहद में खेत खसरा नम्बर 291 रकबा 58.14 बीघा, मौजा निम्बोडा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 47.18 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 28.01 बीघा कुल रकबा 193.16 बीघा भूमि स्थित रहती चली आई है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खेताय मे स्वर्गीय गोकुलराम जी की मृत्यु उपरान्त उनके तीनो पुत्रो कमशः हेमाराम, पूर्णाराम व वादीनी के पिता स्वर्गीय मंगलाराम उर्फ मघाराम उर्फ मगाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में होकर वादीनी का उक्त पैरा संख्या 2 मे वर्णित खेताय में अपने पिता के हक बंट कब्जा काश्त की 1/3 भूमि मे से वादीनी का 1/6 अर्थात् मुददाविया खेताय में वादीनी का 1/18 हिस्सा हक बंट कब्जा काश्त का होकर पारिवारिक मौखिक समझौता अनुसार वादीनी के पिता के बंट में मौजा निम्बोडा के खेत खसरा नम्बर 68 में से 20.01 बीघा भूमि, सुरपालिया के खेत खसरा नम्बर 328 में से 13.10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 289 रकबा 7.16 बीघा भूमि तथा मौजा टालनियाऊ के खेत खसरा नम्बर 291 मे से 20.05 बीघा भूमि कुल रकबा 61.12 बीघा भूमि हक बंट कब्जा अधिकार स्वामित्व की रहती रही है जिसमें वादीनी का जन्म से ही हक अधिकार स्वामित्व कब्जा काश्त रहता रहा है वादीनी के पिता की आज से करीब 22—23 वर्ष पहले मृत्यु हो गई वादीनी के पिता की मृत्यु उपरान्त स्वर्गीय मंगलाराम उर्फ मघाराम उर्फ मगाराम के वादीनी सहित 6 भाई—बहिन होने से वादीनी का अपने पिता स्वर्गीय मंगलाराम जी के कब्जा काश्त भूमि में 1/6 हिस्सा कब्जा काश्त स्वामित्व का होकर वादीनी शांतिपूर्ण काबिज काश्तकार है। वादीनी व वादीनी के भाई—बहिनो के मध्य आज से करीब 15 वर्ष पहले मौखिक बंटवाडा होकर वादीनी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा निम्बोडा की सरहद का खेत खसरा नम्बर 68 रकबा 28.01 बीघा में से 11 बीघा भूमि हक बंट कब्जा काश्त में होकर वादीनी शांतिपूर्ण रूप से काबिज रहकर काश्त करसण कर रही है। सरहद मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 328 रकबा 31.14 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकबा 9 बिस्वा, मौजा टालनियाऊ की सरहद में खेत खसरा नम्बर 291 रकबा 58.14 बीघा, मौजा निम्बोडा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 47.18 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 28.01 बीघा कुल रकबा 193.16 बीघा वादीनी के पुस्तेनी बडेर की भूमि होकर वादीनी के दादा स्वर्गीय गोकुलराम जी के कब्जे काश्त में रहकर

2

उनकी मृत्यु उपरान्त उतराधिकार मे वादीनी के पिता स्वर्गीय मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम व उनके दीगर भाई पूर्णाराम व हेमाराम प्राप्त होकर कब्जा काश्त रहता रहा वादीनी स्वर्गीय मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम की जायन्दा संतान होने से वादीनी का उक्त खेताय में 1/18 हिस्सा हक बंट कब्जा काश्त होकर वादीनी के बंट में पारिवारिक मौखिक समझौता अनुसार सरहद मौजा निम्बोडा का खेत खसरा नम्बर 68 मे से वादीनी व वादीनी की दीगर बहिन सोनादेवी के संयुक्त बंट में 20.01 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 21 कालूराम पुत्र पूर्णाराम के बंट में मौजा निम्बोडा का खेत खसरा नम्बर 68 मे से 8 बीघा भूमि बंट में होकर शांतिपूर्ण रूप से काबिज है परन्तु वादीनी ने अभी जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई की वादीनी के हक बंट कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादीगण सुखाराम, भगवानाराम पिता मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम व स्वर्गीय बन्नाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम ने वादीनी व उसकी बहिन सोनादेवी के हक बंट भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली है तथा खसरा नम्बर 68 के कालूराम के हिस्से के अलावा वादीनी व उसकी बहिन सोनादेवी के हक बंट की 20.01 बीघा भूमि के राजस्व अभिलेखो में खेत खसरा नम्बर 360/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359/68 रकबा 1.0765 हैक्टेयर के खसरो में राजस्व अभिलेखो मे विभक्त कर लिया है जबकि कब्जा काश्त वादीनी व उसकी बहिन सोनादेवी के पुत्रगण कालूराम व कानाराम का संयुक्त कब्जा काश्त होकर काबिज काश्तकार है परन्तु अब सुखाराम, भगवानाराम व बन्नाराम के वारिसान उक्त खेताय को बेचने व अन्य हस्तान्तकरण करने की धमकीयां वादीनी को दे रहे है जिससे वादीनी को यह वादपत्र घोषणा खातेदारी, बंटवाडा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ है। वादीनी की ओर से निवेदन है कि मौजा सुरपालिया की सरहद में खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 328 रकबा 31.14 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकबा 9 बिस्वा, मौजा टालनियाऊ की सरहद में खेत खसरा नम्बर 291 रकबा 58.14 बीघा, मौजा निम्बोडा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 47.18 बीघा, खसरा नम्बर 68 रकबा 28.01 बीघा कुल रकबा 193.16 बीघा भूमि में वादीनी के पिता स्वर्गीय मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम के बंट में मौजा निम्बोडा के खेत खसरा नम्बर 68 में से 20.01 बीघा भूमि, सुरपालिया के खेत खसरा नम्बर 328 में से 13.10 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 289 रकबा 7.16 बीघा भूमि तथा मौजा टालनियाऊ के खेत खसरा नम्बर 291 मे से 20.05 बीघा भूमि कुल रकबा 61.12 बीघा भूमि बंट मे आकर खातेदारी मे दर्ज हुई जिसमें वादीनी को सहखातेदार कृषक घोषित करते हुये मौजा निम्बोडा के खेत खसरा नम्बर 359/68 रकबा 1.0765 हैक्टेयर अर्थात् 6.13 बीघा, खसरा नम्बर 360/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर अर्थात् 6.14 बीघा, खसरा नम्बर 361/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर अर्थात् 6.14 बीघा कुल रकबा 20.01 बीघा भूमि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 क्रमशः कालूराम व कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी मे दर्ज राजस्व अभिलेख कराई जावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 भगवानाराम, प्रतिवादी संख्या 9 सुखाराम व बन्नाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वादीनी के हक बंट अधिकार कब्जा स्वामित्व भूमि मे किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही अपने रिश्तेदारो से करावे तथा मुताबिक वादपत्र वाद को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20 से 24 ने दिनांक 16.08.2021 व प्रतिवादीगण संख्या 8, 14, 15, 18 ने दिनांक 10.01.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादीनी की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24 की पहचान अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी ने की। ईकबालिया जबाव शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,9 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त है, बार–बार आवाजें लगाई गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1,2,9 ना ही हाजिर हुवे ना ही उनके अधिवक्तागण हाजिर हुवे इसलिये न्यायालय से बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 25 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 25 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह गोदावरी पुत्री मंगलाराम उर्फ मगाराम पत्नी सुरजाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम निम्बोड़ा तहसील–जायल सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 16 , 92, 106, 138, 179, 78, 171, 130, 156, 3 पेश हुवे। नकल जमाबंदी ग्राम सुरपालिया तहसील जायल सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 40, 206, 223, 263, 363, 217, 208, 63,240 पेश हुवे। नकल जमाबंदी ग्राम सुरपालिया संम्वत् 2020–2023 खाता संख्या 138, नकल जमाबंदी ग्राम निम्बोड़ा संम्वत् 2022–2025 खाता संख्या 61, ग्राम निम्बोड़ा संम्वत् 2054–2057 खाता संख्या 85, नकल जमाबदी ग्राम टालनियाउ सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 137 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीनी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20 से 24 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1,2,9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 25 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीनी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक वादपत्र एवं ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24 द्वारा हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकाबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा

प्रतिवादी संख्या 1,2,9 के विरूद्व गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 16.08.2021 व 10.1.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीनी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24 द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,9 के विरूद्व एकपक्षीयक कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 25 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग सहखातेदारी एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकाबालिया जबाब दिनांक 16.08.2021 व 10.01.2022 में वादीनी तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक ईकबालिया जबाब अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा निम्बोड़ा, सुरपालिया, टालनियाउ के वादग्रस्त खेतायों में वादीनी का जन्म से अपने पिता की बडेर की भूमि में 1/6 हिस्से का हक स्वामित्व अधिकार होने से वादीनी सहखातेदार के रूप में संयोजित होकर अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा एवं खातेदारी घोषित करवा सकती है अतः मौजा निम्बोड़ा के खेत खसरा नंबर 359/68, 360/68, 361/68 व मौजा सुरपालिया के खेत खसरा नंबर 794/289, 795/289, 796/289, 800/328, 328, 792/289 तथा मौजा टालनियाउ के खेत खसरा नंबर 291 रकबा 58.14 बीघा में वादीनी को 1/6 भाग का सहखातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि वाद पत्र के अनुतोष में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा मौजा निम्बोड़ा के वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 359/68, 360/68, 361/68 कुल रकबा 20.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा माफिक ईकबालिया जबाब अनुसार खातेदारी हक बंट चाहा है। अतः पक्षकारान् के द्वारा खसरे विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 18.05.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



... हासयत रखता है, अगर वह फरीक न हो तो दर्ज किया जावे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 18.05.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4058 दिनांक 22.6.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी गोदावरी, कालूराम, भगवानाराम, अमानाराम, पुसाराम, मानाराम, कानाराम, कालूराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान श्रवणराम एवं रामस्वरूप तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा निम्बोड़ा के खेत खसरा नं. 359/68 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 360/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नंबर 361/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

**– : : आदेश : : –**

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बोड़ा के खेत खसरा नं. 359/68 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 360/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नंबर 361/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीनी गोदावरी (1/2 हिस्सा) एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 कालूराम (1/4) एवं कानाराम (1/4 हिस्सा) के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा निम्बोड़ा के खेत खसरा नं. 359/68 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 360/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नंबर 361/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखे जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. शेष खाता एवं खेताय् बदस्तुर रखे जाते हैं।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
**सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी**
**जायल**



... रखता है, अगर वह फराक न हो तो दर्ज किया जावे ...

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला—नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 115/2021

**वादीगण—**

1. गोदावरी पुत्री मंगलाराम उर्फ मघाराम उर्फ मगाराम पत्नि सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सुरपालिया तहसील जायल निवासी जीवणबेरा तहसील व जिला नागौर।

**बनाम**

प्रतिवादीगण —

1. भंवरलाल पुत्र बीरमाराम
2. जयराम पुत्र बन्नाराम
3. कुनाराम पुत्र बन्नाराम
4. सोहन पुत्र बन्नाराम
5. बाजू पुत्री बन्नाराम
6. नेनी पुत्री बन्नाराम
7. कंचन पुत्री बन्नाराम
8. भगवानाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम
9. सुखाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम उम्र सभी व्यस्क जातियान मेघवाल निवासीगण सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।
10. कालूराम पुत्र सोनादेवी पत्नि आसुराम पुत्री मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम
11. कानाराम पुत्र सोनादेवी पत्नि आसुराम पुत्री मंगलाराम उर्फ मगाराम उर्फ मघाराम उम्र व्यस्क जातियान मेघवाल निवासीगण गेनाणा तहसील लाडनू जिला नागौर।
12. मूलाराम पुत्र हेमाराम
13. रामूराम पुत्र नानूराम
14. अमानाराम पुत्र नानूराम
15. मुनीराम पुत्र नानूराम
16. गिरधारी पुत्र नानूराम
17. श्रवणराम पुत्र मांगीलाल
18. पुसाराम पुत्र मांगीलाल
19. मानाराम पुत्र मांगीलाल
20. गुमानी पत्नि मांगीलाल
21. कालुराम पुत्र पूर्णाराम
22. संतुदेवी पत्नि भंवरलाल
23. जानीदेवी पत्नि जयराम
24. बाऊडी पत्नि भगवानाराम उम्र सभी व्यस्क जातियान सभी मेघवाल निवासीगण सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।
25. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय जायल जिला नागौर।

28/6/2022
उपखण्ड कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 115/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/205
गोदावरी बनाम् भंवरलाल वगैरह

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ , अधिवक्ता वादीनी की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 , 19, 20 से 24।
3. प्रतिवादी संख्या 1,2,9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 25 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ वादीनी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24 द्वारा हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 25 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बोड़ा के खेत खसरा नं. 359/68 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 360/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नंबर 361/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीनी गोदावरी (1/2 हिस्सा) एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 कालूराम (1/4) एवं कानाराम (1/4 हिस्सा) के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा निम्बोड़ा के खेत खसरा नं. 359/68 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नंबर 360/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर, खसरा नंबर 361/68 रकबा 1.0846 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखे जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. शेष खाता एवं खेताय् बदस्तुर रखे जाते हैं।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)



... दरख्वास्त देहन्दा मुकदमें हाजा में क्या हैसियत रखता है, अगर वह फरीक न हो तो दर्ज किया जावे। ... दरख्वास्त देहन्दा/एडवोकेट/प्लीडर

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/6/2022 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर० तलबाना | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/6/2022

**(रवीन्द्र कुमार)**
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)